समक्ष आई.एस तीवाना, जे.

हरफूल सिंह- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य- उत्तरदाता

सिविल याचिका संख्या 1281/1984

31 मई 1984

भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951-नियम 429-उस परिसर में टेलीफोन स्थापित करना जहां ग्राहक पारिवारिक व्यवसाय करता है-ग्राहक बाद में किसी अन्य परिसर में भागीदारों के साथ एक अलग नाम के तहत व्यवसाय शुरू करता है-विभाग अन्य परिसर में टेलीफोन के विस्तार की अनुमति देता है-टेलीफोन काट दिया जाता है इस आधार पर कि इसका उपयोग 'वास्तविक ग्राहक के अलावा' किसी अन्य द्वारा किया जा रहा था - विभाग की ऐसी कार्रवाई - क्या नियम 429 के तहत उचित है।

माना गया कि भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 429 को पढ़ने से पता चलता है कि यह एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जहां ग्राहक किसी और के पक्ष में इसे स्थानांतरित, असाइन या सबलेट करके टेलीफोन के उपयोग से खुद को बाहर कर लेता है। जहां विभाग कहीं भी यह पहचान नहीं करता है कि टेलीफोन का समनुदेशिती, उपठेकादार या हस्तांतरितकर्ता कौन है और केवल यह पता लगाने से कि टेलीफोन का उपयोग किसी अन्य फर्म द्वारा किया जा रहा था, बिना यह बताए कि किस क्षमता में इसका उपयोग किया जा रहा था, विभाग की कार्रवाई नियम 429 के संदर्भ में टेलीफोन को डिस्कनेक्ट करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यदि विभाग द्वारा खुलासा किया गया एकमात्र कारण कि टेलीफोन का उपयोग वास्तविक ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, को कानून में पर्याप्त औचित्य के रूप में लिया जाता है, तो प्रत्येक टेलीफोन को डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए क्योंकि उस स्थिति में ग्राहक के परिवार के किसी सदस्य द्वारा भी टेलीफोन का उपयोग विभाग को इसे डिस्कनेक्ट करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करेगा। (पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि:-

(i) कृपया मामले के रिकॉर्ड मंगाए जाएं;

(ii) 23 फरवरी, 1983 और 17 मार्च, 1983 के आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति की एक रिट जारी की जाए;

(iii) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के तहत उचित समझे, जारी किया जाएगा;

(iv) प्रतिवादी को टेलीफोन का कनेक्शन बहाल करने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी किया जाए;

(v) अनुबंध पी-1 से पी-3 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की भी छूट दी जा सकती है;

(vi) उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस जारी करने से भी मुक्ति दी जाएगी; और

(vii) इस याचिका की लागत भी उत्तरदाताओं के विरुद्ध याचिकाकर्ता को दी जाए ।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, पूरन चंद।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता, अशोक अग्रवाल।

निर्णय

आई.एस तीवाना, जे.(मौखिक) :

1. टेलीफोन नंबर सीएच-31675 याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उनकी दुकान नंबर 31, कबाड़ी मार्केट, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़ में "अपना टेलीफोन अपनाएं" श्रेणी के तहत स्थापित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा इस दुकान का व्यवसाय मेसर्स अशोक ब्रदर्स के नाम और शैली के तहत चलाया जा रहा था, जो उनके अनुसार, उनकी पारिवारिक चिंता है। बाद में उन्होंने मेसर्स मंगल राम एंड संस के नाम और शैली के तहत, उस बाजार में 52 नंबर की दुकान में व्यवसाय शुरू किया। मुझे दिखाए गए मूल साझेदारी विलेख के अनुसार, याचिकाकर्ता इस फर्म में 20 प्रतिशत की सीमा तक भागीदार है। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर, वर्ष 1981 में प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा टेलीफोन को दुकान नंबर 31 से दुकान नंबर 52 में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस टेलीफोन का एक एक्सटेंशन दुकान नंबर 31 में भी स्थापित किया गया था। इस प्रकार, संक्षेप में, याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि इस टेलीफोन का उपयोग इन दो परिसरों में किया जा रहा था।
2. 23 फरवरी 1983 को, एक पंजीकृत पत्र, दिनांक 17 फरवरी 1983 (अनुलग्नक पीआई) याचिकाकर्ता को प्राप्त हुआ जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसका टेलीफोन कनेक्शन काट दिया जा रहा है क्योंकि इसका उपयोग वास्तविक ग्राहकों के अलावा किसी अन्य द्वारा किया जा रहा था जो कि भारतीय टेलीग्राफ नियमों का घोर उल्लंघन था। माना जाता है कि टेलीफोन कनेक्शन उसी दिन यानी 23 फरवरी 1983 को ही काट दिया गया था। याचिकाकर्ता प्रतिवादी-अधिकारियों की इस कार्रवाई पर मुख्य रूप से इस आधार पर आपत्ति जताता है, सबसे पहले, कि इस संबंध विच्छेद से पहले उसे भारतीय टेलीग्राफ नियमों के नियम 421 के संदर्भ में कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था और दूसरे, भले ही उसका रुख प्रतिवादी-अधिकारियों का कहना है कि 1 फरवरी 1983 को उन्हें जारी किया गया ऐसा पंजीकृत नोटिस (अनुलग्नक आर 3) उन्हें 8 फरवरी 1983 को भेजा गया था - डाक अधिकारियों के प्रमाण पत्र के अनुसार - फिर भी प्रतिवादी अधिकारियों की विवादित कार्रवाई शामिल नहीं है नियम 429 के प्रावधानों द्वारा जिसके तहत इन

अधिकारियों को कार्य करना चाहिए। पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता सफल होने का हकदार है।

3. पक्षों की तथ्यात्मक दलीलों पर गौर किए बिना कि क्या उक्त नियमों के नियम 421 द्वारा परिकल्पित नोटिस जारी किया गया था और वास्तव में याचिकाकर्ता को तामील किया गया था, मैंने पाया कि इन अधिकारियों की कार्रवाई नियम 429 के अंतर्गत नहीं आती है जिसके तहत प्रतिवादी-अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि कार्रवाई की है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"कोई भी ग्राहक टेलीग्राफ प्राधिकरण की अनुमति के बिना टेलीफोन को असाइन, सबलेट या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेगा।"

इस नियम को पढ़ने से पता चलता है कि यह एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जहां ग्राहक टेलीफोन को किसी और के पक्ष में स्थानांतरित, आवंटित या उप-किराए पर देकर खुद को इसके उपयोग से बाहर कर देता है। प्रतिवादी-अधिकारियों ने अपने लिखित बयान में या उनके विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक रिकॉर्ड में कहीं भी यह पहचान नहीं की है कि इस टेलीफोन का समनुदेशिती, उप-किराएदार या हस्तांतरितकर्ता कौन है। इन अभिलेखों में पहली रिपोर्ट, दिनांक 14 अक्टूबर 1982 से लेकर अंतिम नोटिंग, दिनांक 14 फरवरी 1983 तक जो कुछ भी उल्लेख किया गया है वह यह है कि इस टेलीफोन का उपयोग मेसर्स मंगल राम एंड संस द्वारा किया जा रहा था। जैसा कि पहले ही बताया गया है, मेसर्स मंगल राम एंड संस याचिकाकर्ता की पारिवारिक कंपनी है जिसमें उनके अलावा, उनकी मां नथिया देवी और उनके भाई सुभाष चंदर क्रमशः 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की सीमा तक भागीदार हैं। यहां तक कि इस टेलीफोन को दुकान नंबर 31 से दुकान नंबर 52 में स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा 18 मार्च 1981 को प्रतिवादी-अधिकारियों के साथ दायर मूल आवेदन (जो मेरे सामने प्रस्तुत रिकॉर्ड का हिस्सा है) में भी, उनके द्वारा यह कहा गया था कि यह टेलीफोन दुकान नंबर 31 में "अशोक ब्रदर्स के नाम पर" स्थापित किया गया था और "चूंकि हम दुकान नंबर 52, कबाड़ी मार्केट, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो गए हैं, इसलिए अनुरोध है कि टेलीफोन नंबर 31675 को दुकान नंबर पर स्थानांतरित किया जाए।" 52।" यह इस आवेदन के आधार पर था कि मामले पर प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई और यह पाए जाने के बाद कि "मामला वास्तविक और व्यवहार्य है" टेलीफोन वास्तव में 28 मार्च 1981 को दुकान नंबर 52 में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है इस तथ्यात्मक कथन से कि न तो मेसर्स मंगल राम एंड संस उपरोक्त

टेलीफोन का ट्रांसफ़री, असाइनी या सबलेटी है और न ही प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा वास्तव में ऐसा पाया गया था। जैसा कि पहले ही बताया गया है, प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा एस.डी.ओ. की रिपोर्ट से लेकर अपनी विभिन्न टिप्पणियों में यह सब दर्ज किया गया है। संबंधित, दिनांक 14 अक्टूबर 1982 यह है कि टेलीफोन का उपयोग मेसर्स मंगल राम एंड संस द्वारा किया जा रहा था। मेसर्स मंगल राम एंड संस द्वारा इस टेलीफोन का उपयोग किस क्षमता में किया जा रहा था, यह इन अधिकारियों द्वारा कहीं नहीं पाया गया है। इस प्रकार, इन अधिकारियों द्वारा किसी निर्णायक निष्कर्ष के अभाव में कि मेसर्स मंगल राम एंड संस इस टेलीफोन का एक समनुदेशिती, उपठेकादार या हस्तांतरितकर्ता था, उक्त अधिकारी संभवतः टेलीफोन को डिस्कनेक्ट करने की कार्रवाई नहीं कर सके। इन सबके अलावा, प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा उनके पत्र, अनुलग्नक पीआई के अनुसार इस टेलीफोन को डिस्कनेक्ट करने का एकमात्र कारण यह बताया गया है कि इसका उपयोग "वास्तविक ग्राहकों के अलावा" किसी अन्य द्वारा किया जा रहा था। यदि इस कारण को टेलीफोन कनेक्शन काटने के लिए कानून में पर्याप्त औचित्य के रूप में लिया जाता है और इसे तार्किक अंत तक ले जाया जाता है, तो सभी संभावना में, प्रत्येक टेलीफोन को डिस्कनेक्ट करना होगा क्योंकि उस स्थिति में टेलीफोन का उपयोग भी ग्राहक के परिवार के सदस्य द्वारा प्रतिवादी-अधिकारियों को इसे डिस्कनेक्ट करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान किया जाएगा।

4. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और प्रतिवादी-अधिकारियों को आज से एक सप्ताह के भीतर दुकान नंबर 52, कबाड़ी मार्केट, औद्योगिक क्षेत्र, चंडीगढ़ में टेलीफोन को फिर से जोड़ने या फिर से स्थापित करने का निर्देश देता हूं। याचिकाकर्ता को इस मुकदमे की लागत का भी हकदार माना जाता है, जो मैं 500 रुपये निर्धारित करता हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह